कार्यालय
क्षेत्र संचालक, पन्ना टाईगर रिजर्व, पन्ना (म० प्र०)
Phone No. +917732-252135 (O) **Fax,** +917732-252120
E-mail: fdptr@rediffmail.com **Website:** www.pannatigerreserve.in

प्रेस विज्ञप्ति

पन्ना एवं छतरपुर जिलों में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, गंगऊ अभयारण्य एवं केन घड़ियाल अभयारण्य के आस–पास के इलाकों में यह देखने को मिला है कि कई भूमि स्वामियों के द्वारा अपने खतों को ठास/अधियां/रखवाली पर दिया जाता है। इन खेतों के आस–पास वन्य प्राणियों से होने वाली संभावित फसल नुकसानी को रोकने एवं शिकार के उद्देश्य से अपने खेतों की बागड़ों में नंगे बिजली के तार एवं फंदा उपयोग में लाया जा रहा है। यह कानूनी रूप से प्रतिबन्धित है। इस पकार की कार्यवाही करने से पहले ठास/अधियां एवं रखवाली हेतु खेत दिये जाने व्यक्ति के चरित्र आदि का परीक्षण करा लें। इसके बावजूद यदि खेत में नंगे बिजली के तार एवं फंदा से किसी वन्य प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो जिस व्यक्ति को ठास/अधियां/रखवाली पर खेत दिया गया है, के साथ–साथ सम्बन्धित भूमि स्वामी के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। इस प्रकार के प्रकरणों में न्यूनतम 1 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की सजा या अधिकतम रु0 50000/– तक जुर्माना या दोनों के साथ दण्डित किये जाने का प्रावधान है। अतः सर्व सम्बन्धितों का इस विज्ञप्ति के माध्यम से इस सम्बन्ध में सर्तकता बरतने हेतु सूचित किया जाता हैं ।

2. सभी कृषकों का इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है कि आपके खेत में यदि किसी वन्य प्राणी द्वारा फसल नुकसानी की जाती ह तो फसल नुकसानी की क्षतिपूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध में शासन की ओर से नियम बनाये गये हैं। अतः इस हेतु तत्काल सम्बन्धित पटवारी एवं नजदीकी बीटगार्ड से सम्पर्क कर अपने फसल नुकसानी की शासन की योजना का लाभ अर्जित करें।

''जन सहायोग से वन्य प्राणी संरक्षण में अपना योगदान प्रदान करें।''

दिनांक – 4.1.2012

क्षेत्र संचालक,
पन्ना टाईगर रिजर्व,पन्ना